

## केन्द्रीय विद्यालय पन्ना (म.प्र.) – 488001

प्रायोजक अभिकरण कोटे से केन्द्रीय विद्यालय पन्ना में शिक्षण सत्र 2022–23 में प्रवेश हेतु अनुशंसित बच्चों के माता/पिता/वैध अभिभावकों के लिए आवश्यक सूचना

दिनांक: 07.04.2022

प्रायोजक अभिकरण कोटे से केन्द्रीय विद्यालय पन्ना में शिक्षण सत्र 2022–23 में प्रवेश हेतु अनुशंसित बच्चों के माता/पिता/वैध अभिभावक विद्यालय में प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रकार से जानकारी एवं दस्तावेज/प्रमाण साथ लाकर उनका सत्यापन शीघ्रातिशीघ्र पूर्वान्ह 08:00 बजे से अपरान्ह 1:30 बजे तक कराकर उन्हे जमा कर निर्धारित शुल्क कक्षा 1 से 2 तक के लिए रू0 1525/–, कक्षा 3 से 8 तक रू0 1825/– एवं कक्षा 9 के लिए रू0 2725/– (छात्राओं, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्रा यदि वे प्रवेश श्रेणी I एवं II से संबंधित नहीं हैं तो रू0 1825/– तथा दिव्यांग एवं बी.पी.एल. छात्र- छात्राओं के लिए रू0 325/–) यूबीआई फीस पोर्टल पर ऑनलाइन/ऑफलाइन जमा कराकर अपने पाल्य छात्र-छात्रा का संबंधित कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित करें :

केन्द्रीय विद्यालय पन्ना की वेबसाइट: [panna.kvs.ac.in](http://panna.kvs.ac.in) के Announcement सेक्शन से **Registration Form & Admission Form for Fresh Admission** डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रवेशार्थी बच्चे के नवीन रंगीन 01 फोटोग्राफ को रजिस्ट्रेशन फार्म पर चस्पा कर एडमिशन फार्म के नीचे संलग्न करके कक्षा 1 हेतु प्रवेशार्थी बच्चे का मान्य प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं कक्षा 2 से 9 में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी बच्चे के पूर्व विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) साथ ही यदि पूर्व विद्यालय सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध नहीं है तो जिला शिक्षा अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी से स्थानांतरण प्रमाण पत्र(टीसी) प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रवेशार्थी बच्चे के आधार नम्बर का प्रमाण , प्रवेशार्थी बच्चे का ब्लड ग्रुप प्रमाण, प्रवेशार्थी बच्चे के समग्र आई. डी. नम्बर की छायाप्रति, माता-पिता की आय का प्रमाण पत्र, SC/ST/OBC-NCL केटेगरी से सम्बन्धित बच्चों के माता/पिता/वैध अभिभावकों के लिये अपने नाम से अथवा बच्चे के नाम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण की छायाप्रति, यदि प्रवेशार्थी बच्चे के माता/पिता/वैध अभिभावक केन्द्र अथवा राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो वे अपने नाम पर निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी सेवा प्रमाण पत्र, पन्ना (म.प्र.) में बच्चे एवं उसके माता/पिता/वैध अभिभावक के निवास का प्रमाण जैसे-राशन कार्ड, विजली बिल, रसोई गैस कनेक्शन प्रमाण, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि में से कोई 01 प्रमाण की छायाप्रति आदि सभी संलग्नकों सहित जमा करें । साथ ही उपरोक्त सभी सम्बंधित संलग्नकों की मूल प्रति सत्यापन हेतु साथ में लायें ।

कृपया कोरोना वायरस महामारी (कोविड-19) की रोकथाम एवं संकमण को रोकने के लिए भारत सरकार, म0प्र0 सरकार एवं स्थानीय प्रशासन के दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें ।

प्राचार्य